

डिक्री बमुकदमें ईबादाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 323/2017 अन्तर्गत धारा 183, 187 आरटीएक्ट

श्यामप्रकाश पुत्र नथमल जाति ब्राह्मण निवासी रावतसर हाल चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र कालुराम जाति बावरी निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. रूघवीर पुत्र प्रभाती जाति बावरी निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. कृष्णलाल पुत्र दयालाराम जाति बावरी निवासी 10 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रामनिवास शर्मा वकील-वादी  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक- 07.05.2018

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील श्री रामनिवास शर्मा व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 10 के.डब्ल्यू.डी. के प0न0 149/404 के कि0न0 20-21 की पूर्वी सीमा पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्कैन अपना अपना वहन करेगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07.05.2018 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर